

कैबिनेट ने अप्रचलित और अनावश्यक कानूनों के नरिसन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नरिसन और संशोधन अधिनियम, 2017 (Repealing and Amending Bill, 2017) द्वारा पुराने और नरिस्थक हो चुके 105 अधिनियमों को नरिसन करने के लिये अपनी मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

सरकार ने पुराने और नरिस्थक हो चुके 105 कानूनों को नरिसन करने का नरिणय लिया है और इसके लिये नरिसतीकरण और संशोधन अधिनियम, 2017 संसद में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस नरिणय को मंजूरी दी गई।

प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय वधिआयोग और वधि विभाग द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति ने नरिसन करने के लिये पुराने और नरिस्थक पड़ चुके 1824 कानूनों की पहचान की थी।

इस समिति की सफिराशि तथा वभिनि मंत्रालयों द्वारा की गई जाँच के आधार पर सरकार ने अब तक (मई 2014 से अगस्त 2016 के दौरान) 1175 कानूनों को नरिसन किया है जो इस प्रकार हैं:

1. नरिसन तथा संशोधन अधिनियम (2015 का 17वाँ) द्वारा 35 अधिनियमों को नरिसन किया गया {The Repealing and Amending Act, 2015 (17 of 2015) repealing 35 Acts};
नरिसन तथा संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2015 (2015 का 19वाँ) द्वारा 90 अधिनियमों को नरिसन किया गया {The Repealing and Amending (Second) Act, 2015 (19 of 2015) repealing 90 Acts};
2. वनियोग अधिनियम (नरिसन) अधिनियम, 2016 (2016 का 22) द्वारा 756 अधिनियमों को नरिसन किया गया {The Appropriation Acts (Repeal) Act, 2016 (22 of 2016) repealing 756};
3. रेलवे वनियोग अधिनियम सहित वनियोग अधिनियमों को समाप्त किया गया {Appropriation Acts including Appropriation (Railways) Acts};
4. नरिसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 23) द्वारा 294 अधिनियमों को नरिसन किया गया {The Repealing and Amending Act, 2016 (23 of 2016) repealing 294 Acts}

चनिहति किये गए 1824 कानूनों में 227 (राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के लिये संसद द्वारा अधिनियमित वनियोग अधिनियमों सहित) राज्य सरकारों को नरिसन करने हैं और इसके लिये राज्यों से अनुरोध किया गया है। केन्द्र सरकार ने बाकी बचे 422 केन्द्रीय कानूनों को जाँच के लिये वभिनि मंत्रालयों तथा वभिनों के पास भेजा था, जिनमें से 105 को नरिसन करने के लिये सभी संबंधित मंत्रालयों ने अपनी मंजूरी दे दी है।